

Written by मेरी बटिया संवाददाता
Monday, 18 June 2018 06:45

: 19 00000000 -18 00 000000 00 0000000 0000000 00000 000000000 00000 00 0000 00
00000 0000 00 00000000 :000000000000 00 0000000 0000000 00000000 0000000000
0000000 00 0000000 0000000 00 :0000000 0000 00 000000000 00 00000 00000000 00000 00
00000 :

00000 00000000 000000000000

000000000000 :अधिवक्ता ओंकरनाथ हत्याकांड में चांदा पुलिस ने दूसरे आरोपी को गरिफ्तार कर आलाक़त्ल के साथ सीजे में कोर्ट में पेश किया।
जसिके रमिांड स्वीकृत कर प्रभारी सीजे में अनुराग कुशिल ने उसे न्यायकिहरिसत में जेल भेजने का आदेश दिया है।

मालूम हो कि चांदा थाना क्षेत्र के इंदौली नवासी अधिवक्ता ओंकरनाथ यादव की बीते 19 अप्रैल को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस मामले में
प्रकश में आये आरोपी लबिशंकर मशिर् नवासी अकरीपुर थाना आसपुर देवसरा प्रतापग के 315 बोर तमंचा व जदि करतूस के साथ शनवार की
सुबह केथरा तरिहे केपास से गरिफ्तार कर पुलिस ने सीजे में कोर्ट में पेश किया। आरोपी की रमिांड स्वीकृत कर अदालत ने 14 दिन की न्यायकिहरिसत
में जेल भेजने का आदेश दिया।

थानाध्यक्ष सके मशिर् ने बताया कि पुलिस की इस सफ़लता पर टीम के सपी ने 15 हजार का पुरस्कार दिया है।